अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

भूपेन्द्र आदि बनाम कालू राम आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 39 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/163

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 2 एफ ए के खाता संख्या 53/54 के मुरब्बा नम्बर 39, 64/38 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के दादा/पिता लालचन्द के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा/पिता लालचन्द की स्वअर्जित भूमि थी। प्रार्थीगण के दादा/पिता लालचन्द के द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की एक वसीयत दिनांक 18.06.2020 को हम प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी। जिसकी रूह से प्रार्थीगण उक्त 1.265 हैक्टेयर भूमि के खातेदार मालिक हो चुके है। लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच से मिलीभगत करके उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 475 दिनांक 05.04.2022 अपने नाम दर्ज करवा लिया है। विरासतन इन्तकाल विधि विरूद्व दर्ज होने के कारण काबिले खारिज है। जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी चक 2 एफ ए के खाता संख्या 53/54 के मुरब्बा नम्बर 39, 64/38 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादगत भूमि लालचन्द के पिता सुखराम पुत्र जीवनराम को जिला पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। इस कारण उक्त भूमि लालचन्द को पिता सुखराम से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। जिसमें लालचन्द की मृत्यू के बाद समस्त विधिक उतराधिकारियों का बहिस्सा बराबर का हिस्सा बनता है। उक्त भूमि लालचन्द की स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। प्रार्थीगण द्वारा बताई गई वसीयत हमारे पिता की मृत्यू के बाद प्रार्थीगण द्वारा लालचवंश फर्जी व कूटरचित तैयार की गई है। प्रार्थीगण ने गलत एंव मनगढत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए फर्जी एंव कूटरचित वसीयत के आधार पर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। लिहाजा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थी ने प्रार्थना में तो यह कथन किये है कि उक्त आराजी स्वअर्जित है। लेकिन उसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा केवल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 ही पेश की है। केवल वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नही माना जा सकता कि वादग्रस्त स्वअर्जित है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसे देखकर यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादगत भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। इसके साथ-साथ तहसील पीलीबंगा के चक 1 जे. डब्ल्यू के खाता संख्या 62/53, चक 9 जैड.डब्ल्यू. डी. के खाता संख्या 40/40, व तहसील सूरतगढ के चक 1 बी. एच.एम. के खाता संख्या 46/41 में भूमि विरासतन इन्तकाल से दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा वसीयत केवल मात्र तहसील श्रीकरणपुर के चक 2 एफ ए की प्रस्तुत की है। अन्य चकों की वसीयत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर